

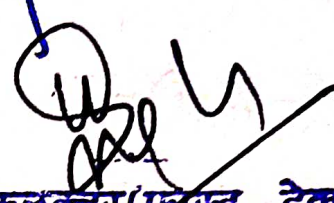
अन्यथा जागगी पेक्षा पा  
 शोष १ नियम ५ के तहत  
 शोष पापित किया जावेगा।  
 पत्रावली वास्ते पेक्षा छैन श्रमि  
 स्त्री से नोटिफ लिंक 18.1.24  
 को पेक्षा छे।



18<sup>1</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेक्षा। वहीत श्रमि  
 उप.। श्रमि संख्या। त  
 ३ वीं शोर से श्रमि  
 अतिर श्रमि. स्त्री से श्रमि  
 इनकी शोर से न्यायालय  
 में कोई श्रमि नहीं छे।  
 श्रमि: इनके विरुद्ध एक पत्रावली  
 श्रमिवाही श्रमि में छे  
 जाती छे। श्रमि वाग में  
 श्रमिवाही श्रमि का श्रमि  
 छे छुका छे। श्रमि में  
 वागश्रमि श्रमियों के श्रमि  
 में श्रमि में श्रमि छे  
 श्रमि वाग के श्रमि श्रमि  
 तः श्रमि श्रमि श्रमि  
 किया जाता छे। पत्रावली  
 श्रमि श्रमि श्रमि

से कम हो, काखिल दफ्तर  
हो। पत्रावली मुख्या  
साथ से लग्न हो।



सहायक कलेक्टर (फॉरेस्ट ट्रेक)  
दौतारामगढ़ (सीकर)